BCCI BULLETIN

Vol. 54 | FEBRUARY 2023 | No. 2

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

'प्रभात खबर संवाद' आम बजट पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने की चर्चा

विकास को गति, रोजगार का सृजन

'केन्द्रीय बजट : 2023-24' का लाईव प्रसारण देखते चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिनांक 01.02.2023 को आम बजट पेश किया। इसे लेकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 'प्रभात खबर संवाद' के तहत **'केन्द्रीय बजट : 2023-24'** पर परिचर्चा आयोजित की गयी। कार्यक्रम में शहर के नामी-गिरामी कारोबारी मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

सरकार ने टैक्स स्लैब सात लाख कर आम जनता को काफी राहत दी है। वही मोटे अनाज को बढ़ावा देने से किसान को प्रत्यक्ष रूप से आय में वृद्धि होगी। ओवर ऑल इस बजट से जहाँ अधिकांश सदस्य खुश दिखे, वहीं कई सदस्य थोड़े मायूस भी नजर आये।

बजट पर सदस्यों की प्रतिक्रिया

वन स्टॉप समाधान सराहनीय

"बजट का लाभ आने वाले दिनों में बिहार को जरूर मिलेगा, क्योंकि सूबे में एयरपोर्ट, सड़क और रेलवे के विस्तार का काम चल रहा है। फेल हो चुके एमएसएमइ के लिए रिफंड का प्रावधान, कारोबार के लिए वन स्टॉप समाधान सराहनीय हैं।" **– एन. के. ठाकुर**, उपाध्यक्ष

केवाइसी प्रक्रिया होगी आसान

"बजट में पहली बार केवाइसी प्रक्रिया को आसान करने की घोषणा की गयी है। कारोबारियों के लिए पैन को पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जाने का प्रस्ताव काफी सराहनीय है। बजट की सात प्राथमिकताएँ काफी अच्छी हैं।" **– विशाल टेकरीवाल,** कोषाध्यक्ष

बजट का दायरा बढ़ाया गया है

"बजट में आधारभूत संरचना पर बजट का दायरा बढ़ाया गया है। सरकारी पूँजी व्यय पर शत-प्रतिशत वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा। साथ ही केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा और आयकर श्रेणियों को तर्कसंगत बनाए जाने पर विशेष फोकस किया गया है।" **– ए.के.पी. सिन्हा,** वरीय सदस्य

डीबीटी स्किम स्वागत योग्य

"आम बजट में सरकार द्वारा 7 लाख रुपये की आय वालों को नयी कर प्रणाली के तहत शून्य टैक्स के दायरे में लाना व युवाओं के लिए डीबीटी स्किम स्वागत योग्य कदम है। अब डिफॉल्ट आप्शन के रूप सें लागू करने की बात कही गयी है।" **– राजेश खेतान,** वरीय सदस्य

एमएसएमइ को मदद मिलेगी

"बिहार इस बजट का लाभ उठा सकता है। हिस्सेदारी के लिए दावेदारी रखनी होगी। एमएसएमइ जिसका कैपिटल 75 लाख है और जिनका टर्नओवर तीन करोड़ तक है, उनको 3.70 लाख छूट की घोषणा की गयी है। इससे एमएसएमइ को मदद मिलेगी।" **– सुभाष पटवारी,** वरीय सदस्य

एग्री स्टार्टअप पर ज्यादा फोकस

"किसनों की आय कैसे बढ़े उस दिशा में इस आम बजट में स्पष्ट दिखता है। एग्री स्टार्टअप पर फोकस करते हुए विशेष बजट का प्रावधान करने की घोषणा की है। इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।"
– पशुपति नाथ पांडेय, वरीय सदस्य

कुटीर उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

"बजट में एक जिला एक उत्पाद से स्कीम के आधार पर बेस बनाकर राजधानी में युनिटी की बातें की गयी हैं। उससे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। खासकर जीआइ उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए।" **– गणेश खेतड़ीवाल,** वरीय सदस्य

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक 1 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023– 2024 पेश किया। बिहार की आम जनता के साथ–साथ राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों को आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी। परन्तु कोई भी घोषणा नहीं की गयी। बिहार का इस बजट में ध्यान नहीं रखा गया। हालाँकि एमएसएमई को राहत पहुँचाने, फेल हो चुके एमएसएमई के लिए रिफण्ड का प्रावधान, एमएसएमई के क्रेडिट के ब्याज पर एक प्रतिशत की छूट, करोबार के लिए वन स्टॉप समाधान, केवाईसी को आसान बनाना, एकीकृत फाइलिंग प्रकिया की शुरूआत, आयकर में छूट सीमा बढाना, राज्यों को 50 वर्षों तक ब्याज रहित कर्ज की सुविधा बेहतर प्रावधान एवं स्वागत योग्य है।

माननीय वित्त वाणिज्य–कर मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 को बिहार बजट 2023–24 विधान सभा में पेश किया। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना का विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष महत्व दिया गया है। इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। 10 लाख युवाओं को नौकरी, रोजगार हेतु प्रशिक्षण, आईटीआई की गुणवत्ता को बढ़ाने पर अधिक महत्व देने से राज्य में युवाओं हेतु सुनहरा अवसर मिलेगा।

इस बजट में सदर अस्पतालों का निर्माण, थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रावधान, उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर बनाने, बरौनी में एक बड़े बॉटलिंग प्लांट की स्थापना स्वागत योग्य है, इससे राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

बजट से पूर्व चैम्बर ने राज्य सरकार से मांग की थी कि उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ किया जाये ताकि उद्यमियों के पूर्व के दावों का निपटारा, औद्योगिक विकास हेतु निधि का गठन, राज्य में लागू विद्युत दरों को झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के समतुल्य किया जाये। चैम्बर के सुझावों पर राज्य सरकार को बजट में विचार किया जाना चाहिए।

चैम्बर के Co-Organisership में दो दिवसीय 'बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव 2023' का शुभारम्भ दिनांक 25 फरवरी, 2023 को होटल मौर्या, पटना में हुआ। इस कार्यक्रम में मैं और उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं अन्य सदस्यगण सम्मिलित हुए।

दिनांक 25 फरवरी, 2023 को ही **बिहार कॉन्क्लेव– 2023 में भाग लेने आये प्रवासी बिहारियों के साथ आपसी विचार–विमर्श एवं उनके सम्मान हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कॉन्क्लेव के आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के बिहारी मूल के लोगों को एक मंच पर लाना था ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़ कर गृह राज्य बिहार के विकास में अपना योगदान करने के लिए प्रेरित हों। इस सम्बन्ध में संक्षिप्त रिपोर्ट चैम्बर बुलेटिन में माननीय सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित की गयी है। यह कार्यक्रम काफी सफल रहा।**

बन्धुओं, चैम्बर लगातार कई वर्षों से राज्य सरकार से मांग करता रहा था कि बिहार में 'भू–जल प्राधिकरण' का गठन हो। मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार द्वारा 'बिहार भू–गर्भ जल प्राधिकरण' का गठन कर दिया गया है उक्त सम्बन्ध में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा गजट अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 2023 जारी कर दी गयी है। गजट की प्रति आपकी सूचनार्थ बुलेटीन में आगे प्रकाशित है।

बिजली कम्पनी के बिजली की दरों की बढ़ोत्तरी के आलोक में बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई पूरी हो चुकी है। आयोग क्या फैसला लेता है यह तो बाद में ही पता चलेगा।

बन्धुओ, शनिवार 04 मार्च, 2023 को संध्या 6.00 बजे से चैम्बर प्रांगण में होली मिलन समारोह–2023 का आयोजन होने जा रहा है। आपसे आग्रह है कि इस समारोह में सपरिवार उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनायें।

होली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

सादर,

आपका
पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

किसानों व कारोबारियों को लाभ

"कृषि क्षेत्र में कई अच्छा ऐलान किया गया है। सरकार डिजिटल ट्रेनिंग किसानों को देगी। सबसे अच्छी बात है कि नेचुरल फार्मिंग एक करोड़ ट्रेनिंग देगी। कृषि सेक्टर में की गयी योजनाओं का लाभ बिहार के किसानों और कारोबारियों को मिलेगा।" **– सुधि रंजन,** सदस्य

खेती में भी स्टार्टअप को बढ़ावा

"यह बजट किसान के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल खेती हो या प्राकृतिक खेती, सरकार का पूरा समर्थन इस केन्द्रीय बजट में है। इससे गाँव में काफी रोजगार का विकास होगा। खेती में स्टार्टअप को भी बढावा देने की बात है।" **– आशीष शंकर**, सदस्य

पर्यटन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

"सरकारी पूंजी व्यय पर शत–प्रतिशत वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स कारों और मोबाइल की दरों में कमी लाने की घोषणा भी सराहनीय कदम है। इसके अलावा पीपी मॉडल के तहत पर्यटन को विकसित किया जायेगा।" **– प्रदीप चौरसिया**, वरीय सदस्य

डिजीलॉकर की सुविधा अच्छी बात

"मोबाइल फोन के पूर्जों के आयात पर सीमा शुल्क कम करने, बैटरी पर कस्टम इयूटी 2.5 फीसदी कम करने, कम्प्रेस्ड बायोगैस पर जीएसटी अपवंचन पर सीमा शुल्क समाप्त करना अच्छी पहल के रूप में देखा जा सकता है।" **– सुबोध जैन,** वरिय सदस्य

पीएम आवास योजना में बिहार को मिलेगा सर्वाधिक लाभ : मोदी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में केन्द्रीय बजट पर परिचर्चा

बजट पर बोलते हुए माननीय सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी बाँयीं ओर आईसीएसआई की चेयरपर्सन सीएस पूजा आनन्द।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के तत्वावधान में दिनांक 11 फरवरी, 2023 को पूर्व उप मुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी के साथ केन्द्रीय बजट 2023 पर परिचर्चा आयोजित की गई।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने श्री मोदी का स्वागत करते हुए बताया कि लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वित्तीय व्यवस्था। शासन द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन कहाँ से आयेगा और यह धन कहाँ-कहाँ खर्च होगा, इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख बजट में होता है।

सुशील मोदी ने बताया कि इस साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले बजट से 33 प्रतिशत अधिक रखा गया है। देश की आधारभूत संरचनाओं यथा-रोड, रेल, पुल, भवन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पर दस लाख करोड़ खर्च होंगे। इससे अधिकाधिक रोजगार का सृजन होगा। 15 साल के पुराने सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा और नया वाहन खरीदा जाएगा जिससे वाहन निर्माण कंपनियों को फायदा होगा। 100 क्रीटिकल प्रोजेक्टस को इन्ड-टू-इन्ड कनेक्टिविटि दी जाएगी। पिछड़ा प्रदेश होने के कारण पीएम आवास योजना का सबसे अधिक लाभ बिहार को मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह बजट चुनावी बजट नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा लाभ होगा और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं आईसीएसआई की चेयरपर्सन सीएस पूजा आनन्द।

मौके पर चैम्बर उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष एस. के. पटवारी, सुनील सराफ, राजेश खेतान, पशुपतिनाथ पाण्डेय, पी. के. सिंह, प्रदीप चौरसिया, मंजय लाल, संतोष कुमार के साथ बड़ी संख्या में इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रटरीज ऑफ इंडिया के सदस्य सम्मिलित हुए। सीएस पूजा आनन्द, चेयरपर्सन, इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनीज सेक्रेटरीज ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.2.2023)

हर लोग पर रखा गया है ध्यान

"इस बार का बजट संतुलित बजट है। हर लोग पर ध्यान रखा गया है। थोड़ी सी चूक हुई है। मध्यम वर्ग को डिडक्शन में इजाफा की उम्मीद थी पर उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। इस बजट से जीवन बीमा का कारोबार प्रभावित हो सकता है।" **– आलोक पोद्दार,** वरीय सदस्य

बजट में सप्तऋषि के हैं सात सूत्र

"बजट में सप्तऋषि के सात सूत्र पर ध्यान दिया गया है, जो समग्र विकास, आधार भूत संरचना का विकास, वित्तीय सशक्तीकरण, राशन प्रणाली, कृषि डिजिटल आधार भूत संरचना, युवा शक्ति, हरित विकास है।"

– आशीष अग्रवाल, सदस्य

खुशहाल बनायेगा यह बजट

"यह एक नये भारत की नींव रखने वाला और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करने का बजट है, नयी टैक्स व्यवस्था में सात लाख रुपये की आय तक छूट के माध्यम से कुछ भी टैक्स नहीं लिया गया है।"

– आशीष प्रसाद, सदस्य

बजट में युवा शक्ति पर दिखा जोर

"यह एक साल का बजट नहीं है। 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र होंगे, जिसकी बुनियाद आज के बजट में रखी गयी है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के हित में युवा शक्ति पर भी नजर रखा गया है।" **– अजय गुप्ता**, सदस्य

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2023)

पैन और आधार 31 मार्च तक नहीं जोड़े तो कर लाभ नहीं

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से न जोड़ने पर कारोबार एवं कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे। सीबीडीटी के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा कि कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ अब तक आधार से जोड़े गए हैं। अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन 31 मार्च की समय सीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। 31 मार्च के बाद आधार से जुड़े नहीं होने पर पैन निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये का शुल्क देना होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.2.2023)

बिहार पर नहीं दिया गया विशेष ध्यान : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय बजट पर दी मिश्रित प्रतिक्रिया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 01.02.2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए पेश केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार के बजट में भी औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार के लिए कुछ विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। बिहार की आम जनता के साथ राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास हेतु अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी, क्योंकि पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति एवं खनिजों पर रॉयल्टी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही राज्य को हमेशा बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने बताया कि कोविड से प्रभावित एमएसएमई को राहत पहुँचाने, फेल हो चुके एमएसएमई के लिए रिफंड का प्रावधान, एमएसएमई क्रेडिट के ब्याज पर 1 प्रतिशत की छूट, कारोबार के लिए वन स्टेप समाधान एवं केवाईसी को आसान कनाना, एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया की शुरूआत, नया आयकर रिटर्न फॉर्म जारी करना, आयकर की वर्तमान छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया जाना, आयकर के स्लैब को कम करना, 157 नर्सिग कॉलेज की स्थापना एवं कौशल विकास पर जोर, रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाना, 50 नये एयरपोर्ट एवं वाटरवेज का विकास, महिला सम्मान बचत योजना का प्रारम्भ, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्राथमिकता देना, बुजुर्गो के लिए बचत योजना की सीमा को बढ़ाना, अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण, राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज रहित कर्ज की सुविधा, 50 पर्यटक स्थलों का विकास एवं एक जिला एक उत्पाद जैसी घोषणा स्वागतयोग्य है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने देश की आधार भूत संरचना को विकासित करने, किसानों एवं आम जनता को राहत पहुँचाने पर विशेष, बल दिया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बजटीय घोषणाओं से किसान एवं छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे।

हालांकि बिहार राज्य के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से हमलोगों को थोड़ी निराशा जरूर हुई है, परन्तु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण सामाजिक उत्थान के हिसाब से इस बजट को सराहनीय कहा जा सकता है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.2.2023)

बिहार बजट राज्य के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित - चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 28 फरवरी 2023 को माननीय वित्त वाणिज्य-कर मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट का स्वागत करते हुए बताया कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना का विकास एवं जनकल्यणकारी योजनओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने बताया कि राज्य के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशित की वृद्धि की गयी है। 10 लाख युवाओं को नौकरी जिसमें बीपीएससी से 49000 युवाओं की बहाली, बीएसएससी से 2900 युवाओं को नौकरी, बीटीएससी से 12000 युवाओं की बहाली, बिहार पुलिस में 75543 युवाओं की बहाली, रोजगार के लिए युवाओं का प्रशिक्षण, आईटीआई की गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल आदि से राज्य के युवाओं को एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट में युवा एवं रोजगार को प्रमुखता दी गई है। सदर अस्पतालों का मॉडल अस्पताल बनाने, थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, राजकोषीय घाटा को कम करने का प्रावधान, वाटर हार्वेस्टिंग पर होल्डिंग टैक्स में छूट का प्रावधान, उद्योगों के लिए सिंग्ल विन्डो सिस्टम को और कारगर बनाने, बरौनी में एक बड़े बॉटलिंग प्लांट की स्थापना पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

श्री अग्रवाल ने बताया बजट पूर्व बैठक में चैम्बर की ओर से राज्य सरकार से मांग की गयी थी कि उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाकर कम-से-कम 10,000 करोड़ किया जाए जिससे उद्यमियों के पूर्व के दावों का निपटारा किया जा सके, औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाए, लैण्ड बैंक बनाया जाए, बैकों पर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने का दबाव बनाया जाए, राज्य में लागू विद्युत की दरें पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के समतुल्य किया जाए अथवा राज्य में स्थित उद्योगों को सबसीडी दी जाए, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं के आलोक में आईटी के लिए आवश्यक नीति का निर्धारण किया जाए एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, बिहार राज्य आवास बोर्ड की भांति बियाडा द्वारा भी उद्योगों को दी गयी जमीन को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड किया जाए, सरकार द्वारा जो भी पॉलीसी बनायी जाती है उसका समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन कराया जाए इत्यादि सुझाव पर भी बजट में विचार किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय बजट 2023 में

सस्ता : इलेक्ट्रोनिक वाहन, मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, एलइडी टीवी, आर्टिफिशियल हीरे, बायोगैस से जुड़ी चीजें, कॉस्मेटिक्स और दवाइयाँ

महँगा : विदेशों से आने वाली चांदी और उससे बने सामान, इंपोर्टेड गोल्ड बार और प्लैटिनम से बना सामान, देसी किचन चिमनी, सिगरेट, टायर, विदेशी कारें

'सप्तर्षि' के सहारे बढ़ेगा देश : 1-समावेशी विकास, 2-अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, 3-बुनियादी ढांचे और निवेश, 4-सक्षमता को सामने लाना, 5-हरित विकास, 6-युवा शक्ति, 7-वित्तीय क्षेत्र

साल दर साल बढ़ा बजट का आकार (आंकड़े लाख करोड़ रुपये में) : • 2019-20 – 27.86 • 2020-21 – 30.42 • 2021-22 – 34.83 • 2022-23 – 39.44 • 2023-24 – 45.03

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2023)

नवीकरण नहीं तो स्वतः रद्द होगा वाहन परमिट

वाहनों के परमिट की वैधता समाप्त होने के 180 दिनों के अंदर उसका नवीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर, कोई वाहन मालिक छह माह बाद नवीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो उसपर विचार नहीं किया जाएगा। वैधता समाप्ति के 180 दिनों के बाद परमिट स्वत: रद्द माना जाएगा।

राज्य परिवहन प्राधिकार ने यह निर्णय लिया है, जिसको लेकर सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि रद्द परमिटों के परमिटधारी द्वारा परमिट जारी करने वाले प्राधिकार के समक्ष मूल परमिट को अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा।

यदि परमिटधारी द्वारा ऐसे परमिट का समर्पण नहीं किया जाता है तो उनके नाम से निर्बंधित सभी वाहनों को अंतरराज्जीय/अंतरक्षेत्रीय मार्गों पर परमिट की स्वीकृति के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ताकि ऐसे परमिटधारियों के पक्ष में भविष्य में किसी भी प्राधिकार से परमिट जारी नहीं हो सके।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.2.2023)

बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव 2023 में चैम्बर की भागीदारी

कॉन्क्लेव को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं चैम्बर के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के को-ऑर्गेनाइजरशिप में आयोजित दो दिवसीय **'बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव 2023'** का शुभारम्भ दिनांक 25 फरवरी, 2023 को होटल मौर्या, पटना में हुआ। उक्त कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं चैम्बर के सदस्य श्री अशोक कुमार एवं अन्य सदस्यगण शामिल हुए। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कॉन्क्लेव को सम्बोधित भी किया।

फैसला **केन्द्र, बिहार और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि प्रस्तावित प्राधिकार में शामिल होंगे**

कोसी विकास प्राधिकार का गठन करें : हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कोसी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही समयबद्ध तरीके से उत्तर बिहार में बाढ़ की सदियों पुरानी समस्या के समाधान के उपायों और संसाधनों की पहचान करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कोसी विकास प्राधिकरण में बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार एवं अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसको समयबद्ध तरीके से बाढ़ से संबंधित जटिल मुद्दों को हल करने के लिए काम करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि बाढ़ से होने वाली तबाही के संकट को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करें।

दरअसल, पिछले दिनों पटना हाईकोई में इस संबंध में एक मामला दायर किया गया था। अरविन्द्र कुमार बनाम अन्य (केन्द्र व राज्य सरकार के संबंधित 10 महकमे) मामले में छह प्रमुख परियोजनाओं को लेकर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। इन परियोजनाओं में बहुउद्देशीय कोसी हाई डैम को लेकर 1991 में नेपाल सरकार से हुए समझौते, कोसी-मेची नदी जोड़ योजना, सनकोसी परियोजना, कमला-बागमती परियोजना, पाठक कमेटी की रिपोर्ट और सिल्ट की समस्या शामिल थी। पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस पर अपना निर्देश जारी किया। कोर्ट ने इन परियोजनाओं पर सरकार से 13 मार्च को अद्यतन स्थिति कोर्ट में पेश करने की भी ताकीद की है।

त्रासदी की ऐसी तस्वीर से निजात की आस जगी : 13 मार्च को छह परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति पर कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

कौन-कौन जिले प्रभावित : सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर एवं किशनगंज।

वर्षवार आपदा मद में खर्च

वर्ष	राशि	वर्ष	राशि
2016-17	1569.12 करोड़	2019-20	3318.13 करोड़
2017-18	4386.34 करोड़	2020-21	3227.79 करोड़
2018-19	417.86 करोड़		

कब-कब आयी भीषण बाढ़ : • वर्ष 1934, 1991 और 2008 में सबसे भीषण बाढ़ आयी • पाँच वर्षों में उत्तर बिहार में बाढ़ प्रबंधन पर 7719 करोड़ खर्च, 11वर्षों में 12777 करोड़ है

पाँच प्रमुख फायदे : 1. इस क्षेत्र में लगातार आने वाली बाढ़ से स्थायी निजात 2. हर साल होने वाली जानमाल की क्षति से मुक्ति मिलेगी 3. साल-दर-साल विस्थापन की त्रासदी से राहत संभव 4. राहत-बचाव पर खर्च होने वाली करोड़ों की राशि बचेगी 5. विकास की दूरगामी नीति बनाने में मदद मिल पाएगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.2.2023)

चैम्बर की ओर से विचारों के आदान-प्रदान हेतु प्रवासी बिहारियों के साथ बैठक

प्रवासी बिहारियों के अभिनन्दन एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर बिहार टाइम्स के श्री अजय कुमार, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर तथा दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, जो कि बिहार कॉन्क्लेव 2023 का ओर्गानाइजर है, की ओर से कॉन्क्लेव में भाग लेने आये प्रवासी बिहारियों के साथ आपसी विचार-विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन 25 फरवरी, 2023 को चैम्बर प्रांगण में किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य दुनिया भर के बिहारी मूल के लोगों को एक मंच पर लाना है ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़कर अपने गृह राज्य बिहार के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित हों साथ ही इसके लिए साधनों का पता लगाकर प्रवासी बिहारियों को अवसर प्रदन करने में सहयोग करना है।

श्री अग्रवाल ने कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बिहार टाइम्स के श्री अजय कुमार के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लगातार अपने स्तर से तो प्रयासरत है ही कि राज्य में अधिकाधिक लोग निवेश के लिए आगे आयें जिससे राज्य का आर्थिक विकास हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके। चैम्बर इस प्रकार के कार्यों में लगे अन्य संगठनों को भी हर सम्भव सहयोग करता रहता है।

बैठक में जिन बिहारी प्रवासियों ने सम्बोधित किया उनमें डॉ. सत्यजीत कुमार सिंह, प्रबन्ध निदेशक, रूबन मेमोरियल होस्पीटल, श्री हर्षवर्धन, संस्थापक एवं सीइओ, अवैसिस टेक्नोलाजी, पूणे, श्री सुजीत प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक एवं सीइओ, मेकिंग बिल्ड टेक इंडिया प्रा. लि., श्री अरूण कुमार, फ्रिलांसर कंसल्टेंट एण्ड पूर्व मुख्य कारखाना (परिचालन) एल एण्ड टी स्पेशल

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री अरूण कुमार, पूर्व उप सी.ए.जी., भारत सरकार एवं अन्य प्रवासी बिहारीगण।

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री अरूण कुमार, फ्रिलांसर कंसलटेंट, उनकी बाँयीं ओर श्री सुजीत प्रसाद, एमडी एण्ड सीइओ, मेकिंग बिल्डटेक इंडिया प्रा. लि., श्री सुधि रंजन, श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व उपाध्यक्ष, श्री रामलाल खेतान, श्री जी. के. खेतड़ीवाल, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष, श्री कैलाश चन्द्र झा, पूर्व पॉलीटिकल एडवाइजर इन अमेरिकन इंबैसी, न्यू दिल्ली।

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री रंजीत निरगुणी, सामाजिक कार्यकर्ता। उनकी बाँयीं ओर श्री हर्षवर्धन, संस्थापक एवं सीइओ, अवीशिस टेक्नोलॉजी, पूणे, श्री सुधांशु कुमार, प्रोग्रेसिव फारमर, समस्तीपुर, श्री राजीव सिंह, प्रिंसपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूएसए।

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री सुधांशु कुमार, प्रोग्रेसिव फारमर, समस्तीपुर, श्री राजीव सिंह, प्रिंसपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूएसए, श्री अरूण कुमार, पूर्व उप सीएजी, भारत सरकार एवं अन्य प्रवासी बिहारीगण।

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री बिभूति विक्रमादित्य, चेयरमैन एण्ड फाउंडर, बिहार ब्रेन्स (दाँयें से प्रथम) एवं अन्य प्रवासी बिहारीगण।

डॉ. प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय को सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में डॉ. सत्यजीत सिंह, एमडी, रूबन मेमोरियल हॉस्पीटल।

कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करते डॉ. सत्यजीत कुमार सिंह, एमडी, रूबन मेमोरियल हॉस्पीटल। उनकी बाँयीं ओर श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष, श्री अजय कुमार, बिहार टाइम्स, श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष एवं श्री रंजीत निरगुनी, सामाजिक कार्यकर्ता।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत की प्रस्तुति देते डा. रत्ना पुरकायश्थ एवं श्री संजय श्रीवत्स, डीडीजी, टूरिज्म मंत्रालय, भारत सरकार।

कार्यक्रम को संबोधित करतीं डॉ. रत्ना पुरकायश्था, पूर्व निदेशक, दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र। उनकी बाँयीं ओर श्री मनीकान्त ठाकुर, सीनीयर जर्नलिस्ट एवं अन्य प्रवासी बिहारीगण।

कार्यक्रम को संबोधित करते बिहार टाइम्स के श्री अजय कुमार।
उनकी दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
बाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं प्रवासी बिहारीगण।

चैम्बर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते प्रवासी बिहारीगण एवं चैम्बर के सदस्यगण।

स्टील एण्ड हैवी फॉरजींग, श्री रामा शंकर पाण्डेय, सीईओ, टाटा ग्रीन बैट्री, श्री राजीव सिंह, प्रिंसपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओरेक्लेडेनवर, कोलोराडो, यूएसए, श्री सुधांशु कुमार, प्रोग्रेसिव फारमर, नया नगर, समस्तीपुर, श्री अरूण कुमार, फॉरमर डिप्टी सी.ए.जी. भारत सरकार, श्री मणीकांत ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट एवं फॉरमर BBC कोरेसपौडेंट, डॉ. रत्ना पुरकायश्था, पूर्व निदेशक, दूरदर्शन (DDK) श्री रंजीत निर्गुणी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, श्री विभूति विक्रमादित्य, चेयरमैन एण्ड फाउंडर, बिहार ब्रेन्स, श्री संजय श्रीवत्स, डीडीजी, टूरिज्म मंत्रालय, भारत सरकार, श्री कैलाश चन्द्र झा, पूर्व पॉलिटिकल एडवाइजर इन अमेरिकन इंबेसी, नई दिल्ली, श्री सुधांशु कुमार, एसोसियेट प्रोफेसर, सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एण्ड पब्लिक फिनांस, पटना एवं श्री अजय कुमार, बिहार टाइम्स थे।

बैठक में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री गणेश खेतड़ीवाल, श्री आलोक पोद्दार, श्री राकेश कुमार, श्री अनिल पचीसिया, श्री राजेश कुमार माखरिया, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्री के. के. अग्रवाल, श्री ए. एम. अंसारी, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्री सुधि रंजन, श्री अजय गुप्ता, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के साथ साथ काफी संख्या में चैम्बर के सदस्य सम्मिलित हुए।

हार्दिक बधाई

चैम्बर के सदस्य श्री प्रदीप जैन जी फिलाटेली की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आर. डी.पी. पुरस्कार हेतु चयनित हुए हैं। श्री जैन की फिलाटली में उनकी लम्बी यात्रा के बाद से फिलेटली विषय पर उनके सभी कार्य, योगदान और शोध हेतु इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

एसोसियेशन ऑफ ब्रिटिश फिलेटलिक सोसाइटी ने श्री प्रदीप जैन को आईबी आर.ए. 2023 - एफ.आई.पी. वर्ल्ड स्टैंप प्रदर्शनी के दौरान विशिष्ट फिलेटलिस्टों की सूची पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 26 मई 2023 को आमंत्रित किया गया है। विगत् सौ वर्षों में यह सम्मान प्राप्त करने वालों में श्री जैन तीसरे भारतीय हैं।

श्री प्रदीप जैन को मिले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

राज्य में तरकारी योजना का होगा विस्तार, सब्जी का निर्यात भी

• निर्यात के लिए तीन सब्जी उत्पादक संघों को किया गया अधिकृत • सहकारिता मंत्री सुरेन्द्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया निर्णय

तरकारी योजना का पूरे राज्य में विस्तार होगा। इसी के साथ राज्य में ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होने के बाद सब्जियों का निर्यात भी हो सकेगा। ऑनलाइन आर्डर पर सब्जियाँ बाहर भेजी जाएंगी। सहकारिता मंत्री सुरेन्द्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी भी मौजूद रहीं। मंत्री श्री यादव ने बताया कि चौथे कृषि रोड मैप में तरकारी योजना विस्तार को शामिल किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। गौरतलब है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी है। अभी तीन सब्जी उत्पादक संघों से राज्य के बीस जिले की समितियाँ जुड़ी हुई हैं। अब सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

समितियाँ बनाएँगी गोदाम : सब्जियों को रखने के लिए गोदाम (सब्जी संग्रहण केन्द्र) भी बनाए जाएंगे। अभी यह काम बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पैक्स की तरह ही आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों को ही अधिकृत किया गया है। वैशाली में अधूरे सब्जी संग्रहण केन्द्र को पूरा किया जाएगा।

तीन संघों के जरिए होगा निर्यात : पटना के हरित सब्जी संघ, मोतिहारी के तिरहुत सब्जी संघ और दरभंगा के मिथिला सब्जी संघ को निर्यात के लिए अधिकृत किया गया है। इन्ही के बैनर तले निर्यात कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.2.2023)**

बिहार की कई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय बजट में किया गया प्रावधान

मोकामा पुल, मुजफ्फरपुर-सुगौली रेल लाइन के लिए मिले 900 करोड़

रेल बजट में पुरानी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को काफी धनराशि दी गई है। कई योजनाओं को गति देने के लिए कुछ धन राशि देकर खानापुरी की गई है। मोकामा में राजेन्द्र पुल के समानान्तर रेल पुल व रूट के निर्माण के लिए 500 करोड़ की राशि दी गई है। इस रूट के बनने का काम अब तेजी से हो सकेगा। इससे मोकामा के आसपास ट्रेनों की गति बढ़ेगी। वहीं, मुजफ्फरपुर-सुगौली रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुरानी योजनाओं में फतुहा-इस्लामपुर रेल रूट से जुड़े नेउरा-दनियावां, दनियावां-बिहारशरीफ, बिहारशरीफ-बरबीघा, बरबीघा से शेखपुरा रेल रूट परियोजना को 300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह वर्षों से लंबित परियोजना है और राशि के अभाव में इस योजना का काम कई महीने बाधित रहा था। किउल-गया दोहरीकरण परियोजना को इस बार बजट में 200 करोड़ रुपये मिले हैं। इस परियोजना के पूरा होने से इस रूट पर ट्रेनों की गीत में बढ़ोतरी होगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए चयनित स्टेशन : अनुग्रह नारायण रोड, आरा, बख्तियारपुर, बांका, बनमनखी, बापूधाम मोतिहारी, बरौनी, बाढ, बारसोई जं, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ रोड, भागलपुर, भगवानपुर, बिहारशरीफ, बिहिया, बिक्रमगंज , बक्सर, चौसा, छपरा, दलसिंहसराय, दरभंगा, दौराम मधेपुरा, डेहरी-ऑन-सोन, ढोली, दिघवारा, डुमरांव, दुर्गावटी, फतुहा, गया, घोरासाहन, गुरारू, हाजीपुर जं, जमालपुर, जमुई, जनकपुर रोड, जयनगर, जहानाबाद, कहलगाँव, कारागाला रोड, खगड़िया जं, किशनगंज, कुदरा, कुमेदपुर, लभा, लहेरिया सराय, लखमिनीया, लखीसराय, मधुबनी, महेश खूंट, मैरवा, मानसी जं, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नबीनगर सड़क, नरकटियागंज, नौगछिया, पहाड़पुर, पिरो, पीरपैंती, रफीगंज, रघुनाथपुर, राजेन्द्र नगर, राजगीर, रामदयालू नगर, रक्सौल, सबौर, सहरसा, साहेबपुर कमाल, सकरी, सलौना, सलमारी समस्तीपुर सासाराम, शाहपुर पटोरी, शिवनारायणपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सिमुलतला, सीतामढ़ी, सीवान, सोनपुर जंक्शन, सुगौली, सुल्तानगंज, सुपौल, तरेगंना, ठाकुरगंज और थावे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन, नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर बिहार सहित विभिन्न राज्यों में रेलवे के विकास मद में खर्च होने वाली बजटीय राशि की जानकारी दी।

इन योजनाओं को मिली काफी कम राशि

बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन	20 करोड़
राजगीर-हिसुआ तिलैया	20 करोड़
छपरा-मुजफ्फरपुर	20 करोड़
मुजफ्फरपुर-दरभंगा	20 करोड़
विक्रमशिला-कटोरिया	20 करोड़
कोसी पुल परियोजना	18 करोड़
रामपुर मंदार हिल वाया दुमका, रामपुर हाट मुरारी तीसरी लाइन	11.3 करोड़
महाराजगंज मशरक	7 करोड़

दोहरीकरण परियोजनाओं को मिली राशि

परियोजना	राशि मिली (करोड़ में)
अतिरिक्त पुल रामपुर-डुमरा टाल-राजेन्द्र पुल स्टेशन	500
धनबाद-सोननगर तीसरी लाइन	450
मुजफ्फरपुर-सुगौली रेल लाइन	400
कियूल गया दोहरीकरण	20
गोरखपुर-वाल्मीकीनगर	151
छपरा-बलिया पैच दोहरीकरण	129
कटिहार-कुमेदपुर और कटिहार-मुकुरिया	115
समस्तीपुर-दरभंगा	75
दरभंगा-बाइपास लाइन	75

इन परियोजनाओं को मिली कम धन राशि

हाजीपुर-बछवाड़ा	30 करोड़
हाजीपुर-रामदयालु	8 करोड़
पीरपैती-भागलपुर	5.2 करोड़
बरौनी-बछवाड़ा तीसरी लाइन	5 करोड़
सोननगर-बाइपास लाइन	2 करोड़
कटरा-कुरसेला दोहरीकरण	1 करोड़

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.2.2023)

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

New Delhi
माघ 05, शक संवत् 1944
25th January, 2023

Shri P.K. Agrawal Ji,

Gratitude for your warm wishes for the year 2023. Greetings to you and your family on the occasion. The constant affection of our countrymen fills me with fresh energy and inspires me to continue striving for the nation's progress.

As is said, **'परिमितं भूतम् अपरिमितं भव्यम्।'** meaning the past is limited, while the future is unlimited. Learning from the memories and challenges of the past year, we have to march forward continuously and work together for the nation's progress.

Amrit Kaal is 'Kartavya Kaal' for all of us to us to work wholeheartedly to fulfil the lofty resolve of building a self-reliant and glorious India. I am confident that with the spirit of 'Nation First, Always First', your efforts will ensure the progress of our nation and the society.

I pray that may 2023 become an unforgettable year of positive changes, attaining goals and success. I once again extend my greetings to you and your family on the occasion.

With best wishes for good health and a bright future.

Yours,

(Narendra Modi)

Shri P.K. Agrawal
President
Bihar Chamber of Commerce & Industries
Khemchand Chaudhary Marg, Patna
Bihar-800001

सभी राज्य दिसम्बर तक जुड़ेंगे एकल खिड़की व्यवस्था से

सभी राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश और केन्द्र सरकार के 32 विभाग इस साल दिसम्बर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था (एनएसडब्ल्यूएस) से जुड़ जायेंगे। इसके माध्यम से सभी कंपनियाँ अपने कारोबार के लिए मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग सकेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने को यह जानकारी दी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि अभी तक 19 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक आदि शामिल हैं। इस व्यवस्था से अनुपालन बोझ कम होगा, परियोजना में लगने वाला समय कम होगा तथा कारोबार शुरू करना और उसका परिचालन आसान होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 10.2.2023)

डिजिटल ऋण सेवा इसी साल से, रेहड़ी वाले ले सकेंगे कर्ज

सरकार इस साल डिजिटल ऋण सेवा शुरू करेगी। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस सेवा से छोटे-रेहड़ी-पटरी वाले भी बड़े बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। 'डिजिटल भुगतान उत्सव' की संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि इसे यूपीआइ सेवा की तरह पेश किया जायेगा। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्री ने यूपीआइ के लिए वॉयस आधारित भुगतान प्रणाली का प्रोटोटाइप का अनावरण किया। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव ने कहा कि यूपीआइ वैश्विक भुगतान उत्पाद बनेगा, जिसके लिए एनपीसीआइ ने पहले ही नेपाल, सिंगापुर और भूटान आदि देशों के साथ भागीदारी शुरू की है। यूपीआइ सेवाएँ 10 देशों ऑस्टेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी, सिंगापुर, यूएइ, ब्रिटेन और अमेरिका के एनआरआइ को उपलब्ध होंगी।

(साभार : प्रभात खबर, 10.2.2023)

बिहार के पहले ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे का निर्माण 2 माह में होगा शुरू

बिहार के पहले ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आई है। एजेंसी चयन शुरू हो रहा है। बनारस से शुरू हो रहे इस ग्रीनफील्ड 6 लेन हाइवे में 22 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से गुजरने के बाद बिहार में 163 किलोमीटर हाईवे कुल 7 पैकेज में बन रहा है। इसमें सोन नदी पर पुल और कैमूर वन्यप्राणी अभयारण्य में टनल छोड़ बिहार में ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे के बाकी हिस्से का टेंडर हो गया है। एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। जमीन मिलने में ज्यादा बाधा नहीं आई तो दो महीने में जमीन पर निर्माण शुरू हो जाएगा। बिहार होकर बनारस से कोलकाता जाने वाले इस महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्देश्य देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में तेज गति वाली कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

बिहार के 4 जिलों समेत 4 राज्यों के 15 जिलों से गुजरेगा : बिहार की 4 जिलों समेत 4 राज्यों की 15 जिलों से ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे गुजर रहा है। बिहार के 4 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया के साथ ही उत्तर प्रदेश के 2 जिले बनारस और चंदौली, झारखण्ड के 4 जिले चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के 5 जिले पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदनापुर, हुगली और हावड़ा जिले में ये ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे बनेगा। इस ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे में 27 बड़े पुल और 8 रेलवे ओवरब्रिज बनने हैं। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 10.2.2023)**

महत्वपूर्ण सूचना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के मांग पर राज्य सरकार द्वारा "बिहार भू-गर्भ जल प्राधिकरण" का गठन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज गत कई वर्षों से लगातार राज्य सरकार से मांग करता रहा है कि राज्य में भू-जल प्राधिकरण का गठन किया जाये। हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार द्वारा **"बिहार भू-गर्भ जल प्राधिकरण"** का गठन कर दिया गया है।

उक्त संबंध में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 2023 की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत है:-

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 07 पटना, बुधवार, 15 फरवरी 2023 (ई.) 26 माघ 1944 (श.)

लघु जल संसाधन विभाग

विकास भवन, पटना

अधिसूचना

1 फरवरी 2023

सं. ल. सिं. मो. - Bihar Water Conservation Bill- 2022-49/2022-760- बिहार भू-गर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006 की धारा-03 से प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बिहार राज्य में भू-जल के विकास एवं प्रबंधन तथा भू-जल निकासी को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु एतद् द्वारा "बिहार भू-गर्भ जल प्राधिकरण" का निम्न प्रकार गठन किया जाता है:-

1. मुख्य अभियन्ता, योजना, अनुश्रवण एवं भूगर्भ, लघु जल संसाधन विभाग, पटना। – अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) पूर्व मध्य क्षेत्र, पटना। – सदस्य
3. अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना। – सदस्य
4. अधीक्षण अभियन्ता, (उत्तर बिहार) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना। – सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना। – सदस्य
6. असैनिक अभियंत्रण-सह-प्रभारी, बिहार रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन सेंटर, पटना। – सदस्य
7. वैसे अधिकतम पाँच अन्य सदस्य जो राज्य सरकार की राय में, भूगर्भ जल से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों, को राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा।

1. प्राधिकरण के कार्य :-

प्राधिकरण बिहार राज्य अंतर्गत भू-गर्भ जल के विकास एवं प्रवंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमावली / विनियमावली / अन्य राज्यादेश द्वारा निर्धारित कार्यों को निष्पादित करेगा।

राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी नियमावली/ विनियमावली/अन्य राज्यादेश को अधिसूचित किये जाने तक यह प्राधिकरण उन कार्यों को निष्पादित करेगा जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विमाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-3289 दिनांक- 24.09.2020 के द्वारा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के लिए विनिर्धारित किए गए हैं।

2. प्राधिकरण की शक्तियाँ :-

प्राधिकरण को बिहार राज्य अंतर्गत बिहार भू-गर्भ जल के विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार भूगर्म जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित नियमावली / विनियमावली / अन्व राज्यादेश द्वारा विनिर्धारित शाक्तियाँ प्राप्त होगी।

राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी नियमावली/ विनियमावली / अन्य राज्यादेश के अधिसूचित किये जाने तक प्राधिकरण को बिहार राज्य के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होगी जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या- 3289 दिनांक- 24.09.2020 द्वारा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण को प्राप्त है।

3. प्राधिकरण का समुचित संचालन तथा अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं अन्य कर्मियों को प्राधिकरण में नियुक्त/ प्रतिनियुक्त कर सकेगी। वैसे कर्मियों के कार्य एवं सेवा शर्त्त वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

4. प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य होगा।

5. प्राधिकरण का मुख्यालय पटना में होगा और वो लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

परमार रवि मनुभाई, अपर मुख्य सचिव।

महत्वपूर्ण सूचना

राज्य के विभिन्न भागों में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने एवं नये आद्योगिक क्षेत्रों के सृजन एवं इसके विकास हेतु राशि स्वीकृत की गयी है।

उक्त संदर्भ में उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प ज्ञापांक 293 दिनांक 31.1.2023 की प्रति सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है:-

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

संकल्प

विषय : औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित दिनांक 3.1.2023 के मद सं.- 9 के क्रियान्वयन के संबंध में।

राज्य अन्तर्गत अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने एवं नये औद्योगिक क्षेत्रों के सृजन एवं इनके विकास हेतु भारत सरकार की 50 वर्षीय ब्याजमुक्त ऋण Scheme for special Assistance to states for capital investment for 2022-23 के पार्ट-1 योजनान्तर्गत कुल 10 परियोजनाओं के लिए कुल राशि 416.5556 करोड़ (चार सौ सोलह करोड़ पचपन लाख छप्पन हजार) रूपये मात्र के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। इस योजनान्तर्गत राशि 195.7111 करोड (एक सौ पंचानवे करोड़ एकहत्तर लाख ग्यारह हजार) रुपये प्राप्त हो चुकी है। जिसे व्यय करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना स्थल	भारत सरकार द्वारा special Assistance पार्ट-1 अन्तर्गत स्वीकृत राशि (करोड़ में)
I	औद्योगिक क्षेत्र का विकास हाजीपुर, फेज-II	हाजीपुर, वैशाली।	45.9800
II	औद्योगिक क्षेत्र का विकास कुमारबाग, फेज-II	कुमारबाग, प. चम्पारण।	32.8500
III	औद्योगिक क्षेत्र का विकास हथुआ, फेज-II	हथुआ, गोपालगंज।	5.8200
IV	औद्योगिक क्षेत्र का विकास सिकंदरपुर, फेज-II	सिकंदरपुर, पटना।	67.1300
V	औद्योगिक क्षेत्र का विकास मुजफ्फरपुर, फेज-II	मुजफ्फरपुर।	97.7900
VI	औद्योगिक क्षेत्र का विकास बरारी भागलपुर, फेज-II	भागलपुर	15.4800
VII	औद्योगिक क्षेत्र का विकास गोरौल, फेज-II	वैशाली	50.0000
VIII	औद्योगिक क्षेत्र का विकास बेगुसराय, फेज-II	बेगुसराय।	83.8900

IX	औद्योगिक क्षेत्र का विकास पाटलीपुत्रा, फेज-।।	पटना।	5.1500
X	औद्योगिक क्षेत्र का विकास लोहट, फेज-।।	मधुबनी	12.4656
		कुल राशि	**416.5556**

2. योजना का कार्यान्वयन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) पटना के माध्यम से किया जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA), पटना को राज्य सरकार की ओर से इस योजना के लिए कार्यान्वित एजेंसी नामित किया गया है।

3. राज्य के अधिकांश जिलों में औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनके आधारभूत संरचना का विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी और राज्य में रोजगार का सृजन होगा।

4. Scheme for special Assistance to states for capital investment for 2022-23 के पार्ट-1 योजनान्तर्गत रू. 195.7111 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ एकहत्तर लाख ग्यारह हजार) रुपये इस योजना में व्यय किये जायेंगे।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक - 03.01.2023 के मद सं. - 9 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(दिलीप कुमार)
विशेष सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 293 पटना दिनांक - 31.1.2023
सं. सं.- 04 तक/ योजना स्वीकृति/ औद्योगिक क्षेत्र / 143/ 2022 पार्ट फाईल - 01
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

केन्द्रीय बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक 01 फरवरी 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया। बजट की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

भाग-अ

- प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुँच गई है।
- वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं।
- उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।
- 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार।
- 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज।
- पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण।
- **बजट की सात प्राथमिकताएँ 'सप्तऋषि'** : इनमें शमिल हैं : समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र।
- **आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ** : 2,200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।
- वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएँगे।
- केन्द्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
- पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया।
- रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।
- शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चेरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी।
- 5जी सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएँगी, जिनसे नये अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी।
- चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएँगे। प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।
- सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीट नाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0** को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएँगे।
- विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 **स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर** स्थापित किए जाएँगे।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का सपार्श्विक मुक्त गारंटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कार्रवाई के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी।
- लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।
- युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, इसके लिए **कृषि वर्धक निधि** की स्थापना की जाएगी।
- भारत को 'श्री अन्न' के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा

दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।

- कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
- **पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना** को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुँच को बढ़ाया जाएगा।
- **कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना** को एग्री-टेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा।
- सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किया है।
- व्यापक विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा।
- सहयोगपरक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- औषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- विकास सभावना एवं रोजगार सृजन, निजी निवेश में बढ़ती भीड़ और वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश, जो निरंतर 3 वर्षों में 33 प्रतिशत की वृद्धि है।
- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढाने के लिए **500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम** की शुरुआत हुई।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में **प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन** को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये।
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये शामिल है।
- अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए **नया अवसंरचना वित्त सचिवालय** स्थापित किया गया।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्थान के रूप में **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान** विकसित किए जाएँगे।
- भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक **राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की** स्थापना की जाएगी।
- सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना के लिए केन्द्रीय मदद के रूप में 5300 करोड़ रुपये दिए जाएँगे।
- पहले चरण में 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपीग्राफी संग्रहालय में **'भारत शेयर्ड रिपोजटरी ऑफ इनस्क्रिप्शंस'** की स्थापना।
- केन्द्र का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 13.7 लाख करोड़ रुपये।
- अवसंरचना में निवेश बढ़ाने और पूरक नीतिगत कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज रहित कर्ज को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा।
- हमारे शहरों को 'भविष्य के स्थायी शहरों' में बदलने के लिए राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों एवं कार्यों को प्रोत्साहन।
- सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीनयुक्त बनाने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा।
- लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केन्द्रित सुविधाएँ उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच **आई-गोट कर्मयोगी** का शुभारंभ।
- कारोबारी सुगमता के लिए 39,000 अनुपालनों को हटा दिया गया और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया।
- सरकार की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में 42 केन्द्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया।
- 'कृत्रिम बुद्धिमता को भारत में बनाएँ और कृत्रिम बुद्धिमता से भारत के लिए कार्य कराएँ' के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएँगे।
- स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी।
- व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
- स्थायी खाता संख्या (पैन) का इस्तेमाल विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा।
- कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा।
- प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को बेहतर तरीके से आबंटित करने के लिए 'परिणाम-आधारित' वित्त पोषण।
- न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण -3 शुरू किया जाएगा।
- एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने, 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
- ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी।
- 'पृथ्वी माता के पुनर्रूद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम' राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।
- मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहाँ भी व्यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपेण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल, मिश्टी की शुरूआत की जाएगी।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले।
- अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित

किया जाएगा।

- एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत कर कौशलवर्द्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने, एमएमएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा।
- अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजन के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।
- चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
- **'देखो अपना देश'** पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा।
- **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम** के अंतर्गत सीमावर्ती गाँव में पर्यटन के बुनियादी ढाचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- राज्यों के उनके स्वयं के **ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद),** जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक **यूनिटी मॉल** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक **राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री** की स्थापना की जाएगी। इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा।
- आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से सुझाव प्राप्त करने के साथ वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएँ भी निर्धारित की जाएँगी।
- जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
- दोहरे विनियम से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी।
- आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
- विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति दी जाएगी।
- व्यापार पुनर्वित्त पोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना की जाएगी।
- मध्यस्थ, अनुषंगी सेवाओं के लिए और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा।
- विदेशी व्युत्पन्न दस्तावेजों के वैध संविदाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- बैंक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।
- डिजिटल निरंतरता समाधान ढूढने वाले देशों के लिए जीआईएफटी आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम की जाएगी।
- प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदण्ड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने और बनाये रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा।
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुन: दावा कर सकते हैं, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
- आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना, **महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र** शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ दो वर्षो की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।
- मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकत्तम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया।
- राज्यों के निमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किये जाने हैं, इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे परन्तु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तवित पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा।
- राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषी घाटे की अनुमति होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।

संशोधित अनुमान 2022-23

- उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से निवल कर प्राप्तियाँ 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं।
- कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं।
- राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है जो बजट अनुमान के अनुरूप है।

बजट अनुमान 2023-24

- बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमश: 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
- निवल कर प्राप्तियाँ 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियाँ 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधारियाँ 15.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

भाग - ख

प्रत्यक्ष कर

- प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालन भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना।
- आयकर विभाग अनुपालन को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास कर रहा है।
- करदाता सेवाओं में और सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फार्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।
- नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
- नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगा।

नई आयकर दरें

कुल आय (रुपए)	दर (प्रतिशत)
3,00,000 तक	कुछ नहीं
3,00,001 से 6,00,000 तक	5
6,00,001 से 9,00,000 तक	10
9,00,001 से 12,00,000 तक	15
12,00,001 से 15,00,000 तक	20
15,00,000 से अधिक	30

- नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।
  - नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी।
  - गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
  - नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।
  - सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी सीमाओं के लिए अनुमानित कराधान के लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी सीमा वर्ष के दौरान नगदी में ली गई कुल राशि के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों/टर्नओवर की 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है।
  - एमएसएमई को किए गए भुगतान पर हुए व्यय के लिए कटौती को उसी मामले में अनुमति होगी जब समय पर प्राप्त भुगतानों में एमएसएमई की सहायता के क्रम में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो।
  - ऐसी नई सहकारी संस्थाएँ जो नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में उपलब्ध 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए 31.3.2024 तक विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू की हैं।
  - चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने का अवसर दिया गया है। इससे इन्हें लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध होने की उम्मीद है।
- प्राथमिक कृषि कॉपरेटिव सोसाइटी (पीएसीएस) और प्राथमिक कॉपरेटिव कृषि ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) को नगद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपये प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रस्ताव।
- सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी निकासी पर 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।
- स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31.3.2023 से बढ़ाकर 31.03.2024 तक करने का प्रस्ताव।
- स्टार्ट-अप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव।
- कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा 54 और 54 एच के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
- दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियाँ (यूलिप को छोड़कर) के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल उन पॉलिसियों, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये तक है, से होने वाली आय पर छूट देने का प्रावधान। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर प्रदान की गई कर छूट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- आयकर प्राधिकरण बोर्ड और कमीशन जिसकी स्थापना केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग, शहर का विकास, कस्बा और गाँव के लिए नियामक और विकास गतिविधियों या कार्यों के लिए की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव।
- ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को स्पष्ट करने का प्रस्ताव। टीडीएस और नेट विनिंग के निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस और कर देयता के लिए प्रस्ताव।
- गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को गोल्ड में परिवर्तित करने पर इसे पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाएगा।
- गैर-पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।
- मार्केट लिंकड डिबेन्चर से प्राप्त आय कराधान के अंतर्गत होगी।
- आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों को जाँच के किए चुनने हेतु और अधिक सेलेक्टिव रहेंगे।
- आईएफएससी, गिफ्ट सीटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
- आयकर अधिनियम की धारा 276ए के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2023 से गैर अपराधीकरण।
- आईडीबीआई बैंक सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करने का प्रस्ताव।
- अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव। अग्निवीरों की कुछ आय में कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केन्द्र सरकार ने इनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांरित किया है।

अप्रत्यक्ष कर

- वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया।
- कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं।
- सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।
- बिजली से संचालित वाहन में लगने वाले लीथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने वाले मशीनीरी/कैपिटल गुइस पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 31.03.2024 तक किया गया।
- हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।
- मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए, कुछ एक पूर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम-आयान बैटरी सेलों पर रियावती शुल्क को एक और वर्ष लिए जारी रखना प्रस्तावित।
- टी. वी. पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- रसायन उद्योग में डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इस बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव।
- घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा कायम रखने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरसपार पर बेसिक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।
- इपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरिन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव।
- प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव।
- सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।
- चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
- सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट जारी।
- कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को जारी रखा गया।
- संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति

किलोग्राम, जो भी कम हो करने का प्रस्ताव।

- विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समयसीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव।
- एंटी डम्पिंग इयूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित प्रावधानों के दायरे और प्रायोजन को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
- सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरूआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।
- कम्पाउडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा।
- कुछ अपराधों को अपराधीकरण की सीमा से बाहर किया जाएगा।
- संबंधित रिटर्न विवरण को भरने की निर्धारित तिथि से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि तक रिटर्न विवरणी को भरने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- ई-वाणिज्य संचालनों (ईसीओ) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को मिश्रित करदाताओं को सक्षम बनाया जाएगा। **(रिलीज आईडी : 1895330)**

जीएसटी से 17 और आयकर से 15 फीसदी राजस्व आएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45.03 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में रुपया कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। इसका ब्योरा ऐसे समझें।

रुपया कहाँ से आएगा : • 4% सीमा शुल्क • 6% गैर कर राजस्व से • 2% गैर ऋण पूंजी से • 34% कर्ज और देयदाताओं • 15% आयकर • 7% केन्द्रीय उत्पाद शूल्क से • 15% निगम कर • 17% जीएसटी

रुपया कहाँ खर्च होगा : • 8% अन्य खर्च • 17% केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर • 9% वित्त आयोग व अन्य अंतरण पर • 18 % कर शुल्क में राज्यों के हिस्से पर • 4% पेशन • 20% ब्याज भुगतान पर • 9% केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर • 7% सब्सिडी पर • 8% रक्षा क्षेत्र पर।

प्रमुख योजनाओं का आवंटन बढ़ाया गया

बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित प्रमुख योजनाओं का आवंटन बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 तथा 2023-2024 में प्रमुख योजनाओं पर बजट आवंटन का ब्योरा -

योजनाएँ	2022-23	2023-24
जल जीवन मिशन	6000	7000
एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल	2000	5943
प्रधानमंत्रीआवास योजना	48000	79500
पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना	1419	2491
ईवी का त्वरित अंगीकरण व विनिर्माण	2908	5172
फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास	100	1250

(आँकड़े करोड़ रुपये में) **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2023)**

हाईवे की सर्विस रोड अब प्लास्टिक कचरे से बनेगी

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस रोड के निर्माण व मरम्मत में प्लास्टिक कचरे के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है। इससे सड़कें अधिक टिकाऊ, सस्ती, मजबूत और गड्ढा रहित बनेगी। वहीं, शहरी प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान पहुँचने का खतरा कम होगा और इसके खाने से पशुओं, विशेषकर गायों की मृत्यु का सिलसिला थमेगा।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 6 फरवरी 2023 को राज्यों व केन्द्र सरकार की सड़क निर्माण एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनवरी - 2007 में सड़क निर्माण में ठोस कचरे-प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 10 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.2.2023)**

निगम की वेबसाइट पर ऑटोमैप पोर्टल से नक्शा पास कराने सुविधा शुरू

मौका : नगर निगम से 31 मार्च तक करा सकते हैं नक्शा पास

पटना नगर निगम को पुरानी व्यवस्था के तहत 31 मार्च तक मकानों का नक्शा पास कराने की छूट दी गई है। नक्शा पास कराने के 255 मामले जो लंबित हैं उन्हें भी इस तिथि तक निपटारा करना है। इसके अलावा भी इस अवधि में नया आवेदन देकर नक्शा पास कराया जा सकता है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना नगर निगम में पहले से निबंधित तकनीकी विशेषज्ञ एवं निर्माताओं को 31मार्च, 2023 तक नक्शा पास करने की छूट दे दी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.2.2023)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

सभी कोचिंग संस्थान/बैंक्वेट हॉल/ विवाह भवन / ब्यूटी पार्लर/ जिम संचालक /सिक्योंरिटी सर्विसेज/ केबुल ऑपरेटर एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यवसायीगण कृपया ध्यान दें।

1. ऐसे कोचिंग संस्थान / बैंक्वेट हॉल / विवाह भवन / ब्यूटी पार्लर / जिम संचालक / सिक्योंरिटी सर्विसेज / केबुल ऑपरेटर एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यवसायीगण जिनका वार्षिक टर्न ओवर रुपये 20 लाख से अधिक है, को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत निबंधन लेना अनिवार्य है।
2. GST निबंधन के बगैर ऐसा कारोबार किया जाने पर शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई हो सकती है।
3. अत: सेवा क्षेत्र के ऐसे सभी व्यवसायीगण जिनकी कंडिका-1 के अनुसार अहर्ता बनती है वे GST के अंतर्गत नियमानुसार निबंधन लेकर शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई से बचें।
4. निबंधन प्रक्रिया की जानकारी विभाग के अंचलों से प्राप्त की जा सकती है।

यह जानकारी वेबसाईट www.gst gov.in पर भी उपलब्ध है।

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.2.2023)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

ईंटा भट्ठा व्यवसायी कृपया ध्यान दें।

1. फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं बिल्डिंग ब्रिक्स के ऐसे व्यवसायी जिनका वार्षिक टर्नओवर (Annual Turn Over) रुपये बीस लाख से अधिक रहा है, को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत निबंधन लेना अनिवार्य है।
2. ऐसे ईंट भट्ठा के व्यवसायियों को कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3. फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं बिल्डिंग ब्रिक्स की बिक्री पर ITC का लाभ लेने वाले व्यवसायी को 12% की दर से तथा ITC का लाभ नहीं लेने वाले व्यवसायी को 6% की दर से कर भुगतान करना है।
4. अत: ऐसे सभी व्यवसायी GST के अंतर्गत नियमानुसार निबंधन करा लें अन्यथा शास्ति अधिरोपण की कार्रवाई हो सकती है।

यह जानकारी वेबसाईट www.gst gov.in पर भी उपलब्ध है।

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.2.2023)

छोटे उद्योगों की जब्त राशि वापस होगी

वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई इकाइयों से कोविड काल की सरकारी निविदाओं में बोली की जमानत और जब्त की गई क्षतिपूर्ति राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा लौटाने का सभी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश दिया।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2022 तक सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) के रूप में पंजीकृत सभी ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता अनुबंध पूरा न कर पाने पर जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत रिफंड पाने के योग्य होंगे। यह राहत 19 फरवरी, 2020 से लेकर मार्च, 2022 तक पूरा होने वाले अनुबंध सौदों पर ही मिलेगी। बयान के मुताबिक, एमएसएमई इकाइयों को कोविड काल के अनुबंधों के संदर्भ में बड़ी राहत दी गई। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.2.2023)**

200 फीसदी तक महँगा हुआ बिजली का कनेक्शन लेना और मीटर जाँच करवाना

राज्य में बिजली कनेक्शन लेने के बाद मीटर आदि उपकरणों की जाँच की राशि में 200 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। कॉमर्शियल या अन्य संस्थानों द्वारा बिजली संपर्कता के बाद उसकी जाँच के लिए सरकार ने इस शुल्क में वृद्धि की है। शुल्क का निर्धारण किलोवाट की संपर्कता के आधार पर निर्धारित किया गया है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि नये शुल्क में भले ही वृद्धि बड़ी दिख रही है, पर यह मामूली राशि है। जैसे कोई व्यक्ति बजली की सपर्कता लेता है, तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उस राशि में वृद्धि की गयी है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जैसे अपने फैक्ट्री में ट्रांसफॉर्मर लगवाता है। उसके बाद तार जोड़ा जायेगा। इस तार जोड़ने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया जायेगा। जो पहले से 188 रुपये दर था वह अब 264 रुपया हो जायेगा। 25 किलोवाट से 100 किलोवाट के अंदर है तो उसका शुल्क 500 रुपये है तो वह अब 1500 रुपये हो जायेगा। इसी प्रकार से ऊपर के स्लैब के अनुसार इंस्पेक्शन शुल्क निर्धारित होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 9.2.2023)**

20 प्रतिशत इथेनाल मिक्स पेट्रोल की बिक्री शुरू

• स्वच्छ परिवहन की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम • आइओसीएल के सीजीएम ने एक वाहन में पेट्रोल डालकर की शुरूआत

स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए बेंगलूरु में ई 20 ईंधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लांच किया। इसी कड़ी में भारत ऊर्जा सप्ताह के तहत राजधानी के जीरोमाइल बाइपास स्थित सिंह सर्विस पेट्रोल पंप पर ईथेनाल मिक्स पेट्रोल की बिक्री की शुरूआत हुई।

एक वाहन में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक एन. डी. माथुर ने ईथेनाल 20 मिक्स पेट्रोल डाल कर किया। खुदरा बिक्री प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह राज्य का पहला पंप है, जहाँ ई-20 उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त जल्द ही पटना-पटना-मुजफ्फरपुर मार्ग एवं पटना-गया मार्ग पर दो अन्य पेट्रोल पम्प पर उपलब्ध किया जा रहा है। वर्तमान में पेट्रोल में 10 प्रतिशत ईथेनाल मिलाया जाता है, 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करना है। **(साभार : दैनिक जागरण, 7.2.2023)**

स्वदेशी पहियों पर दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन

अंतरराष्ट्रीय पहचान बनती जा रही स्वेदशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत टेन अब देश में निर्मित फोर्ज व्हील पर दौड़ेंगी। यूक्रेन-रूस के बीच चल रही जंग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानक के फोर्ज व्हील भारत में बनाने का फैसला किया है।

रेलवे बोर्ड ने मेक इन इंडिया के तहत दो देसी कंपनियों को व्हील बनाने का ठेका दे दिया है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेमी हाई स्पीड पर ट्रेन-मालगाड़ी व इंजन को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के फोर्ज व्हील की जरूरत है। भारत में सिर्फ कोस्ट व्हील बनते हैं और इनको 120 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज नहीं चलाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि दुर्गा स्टील प्लांट, भिलाई व्हील प्लांट, येलाहंका व्हील एंड एक्सल प्लांट आदि में 60,000 कोस्ट व्हील व 7000 फोर्ज व्हील बनते हैं। रेलवे को सालाना दो लाख व्हील (इसमें 80 हजार फोर्ज व्हील) की जरूरत है। इनको यूक्रेन, यूरोप के देशों जर्मनी, चेकेस्लोवाकिया आदि देशों से आयात किया जाता है। यूक्रेन युद्ध से फोर्ज व्हील का आयात प्रभावित हुआ है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.2.2023)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Amit Mukherji Indian M/s Standard Industries 35, New Market Patna - 800 001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary